

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/एसीटीएडी/माडा/बजट/मा.मंत्री अनुशंषा/2019-20/46788-802 दिनांक:- 26/12/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
बूंदी/उदयपुर।

विषय:- विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 44411-27 दि. 05.12.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना (सड़क निर्माण) कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संबंधित पंचायत समिति द्वारा प्राप्त निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-6 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प.	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति		योजना का क्षेत्र
				क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
	जिला:- बूंदी					
1.	ग्राम लीलदा में इन्टरलॉकिंग कार्य मोहन के मकान से शमशान की ओर लीलदा,	डोकून	नैनवां	AEN/PS/ Nainwa/335 /06.12.19	5.00	माडा
2.	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य ठाकुर जी से राम देव जी की ओर, ग्राम देवरिया	डोकून	नैनवां	AEN/PS/ Nainwa/336 /06.12.19	4.00	माडा
3.	सीसी इन्टरलॉकिंग खुरंचा मय नाली निर्माण माणा मेनरोड टंकी से बचला बांसा, भेरुजी की ओर लक्ष्मीपुरा	डोडी	नैनवां	AEN/PS/ Nainwa/337 /06.12.19	5.00	माडा
4.	सीसी रोड/इन्टरलॉकिंग निर्माण पीएस स्कूल से घाटी की तरफ, ग्राम मोतीपुरा	खैरखटा	हिण्डोली	AEN/PS/ Hindoli/128 /09.12.19	3.06	माडा
5.	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य माताजी मन्दिर से पुराने सीसी रोड तक, ग्राम फतेहगढ़	थाना	हिण्डोली	AEN/PS/ Hindoli/129 /09.12.19	6.02	माडा
6.	सीसी ब्लॉक निर्माण मेन रोड से शमशान की ओर, ग्राम बडोदिया	बडोदिया	हिण्डोली	AEN/PS/ Hindoli/130 /09.12.19	10.04	माडा
7.	सीसी सड़क निर्माण कार्य पुराने सीसी रोड से शकर जी के मकान की तरफ रामपुरा, ग्राम तुरकडी	गुढाबांध	हिण्डोली	AEN/PS/ Hindoli/131 /09.12.19	3.50	माडा
			योग		36.62	
	जिला:- उदयपुर					
8.	सीसी रोड निर्माण मोहन गमेती के घर से उदयलाल के घर की ओर एवं विभिन्न गलियां भील बस्ती, ग्राम सेलू	ईसवाल	बडगांव	AEN/PS/ Badgaon/91 /10.12.19	10.00	बिखरी
9.	सीसी रोड निर्माण मुख्य सड़क से कमलचन्द गमेती के घर की ओर एवं विभिन्न गलियां भील बस्ती, ग्राम ईसवाल	ईसवाल	बडगांव	AEN/PS/ Badgaon/92 /10.12.19	9.97	बिखरी
			योग		19.97	
			महायोग		56.59	

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित कार्य पर राशि रु. 36.62 लाख का व्यय माडा क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 48/2019-20 जयपुर दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कृ.पू.उ.

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 8 से 9 पर अंकित कार्य पर राशि रु. 19.97 लाख का व्यय बिखरी क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 56/2019-20 जयपुर दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्य स्वीकृति की शर्तें:-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कार्य कराया जावे। स्वीकृत योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हों।
3. कार्यकारी एजेन्सी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं स्वीकृत कार्य की **geo-tagging** कर **soft copy** में **comm.tad@gmail.com** पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्वीकृत राशि सम्बन्धित पंचायत समिति को हस्तान्तरित करेंगे।

sd
(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S.

आयुक्त

एफ 5/एसीटीएडी/माडा/बजट/मा.मंत्री अनुशंषा/2019-20/46788-882 दिनांक: 26.12.19
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बून्दी/उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बून्दी/उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा माडा क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 48/2019-20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख में से राशि रु. 36.62 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बून्दी को एवं शासन की स्वीकृति संख्या 56/2019-20 जयपुर दिनांक 08.11.2019 द्वारा बिखरी क्षेत्र में जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख में से राशि रु. 19.97 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) उदयपुर को हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
6. निदेशक, मोनटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवा/हिण्डोली जिला बून्दी/ बडगांव, जिला उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)